



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



फाइल नम्बर :9-HRB004/2019-CHA

दिनांक : 18.08.2020

सेवा में,

नोडल ऑफिसर एवं मुख्य वन संरक्षक (सी एफ),  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,  
पंचकुला हरियाणा

**विषय: Diversion of 0.7626 ha of forest land in favour of Executive Engineer, P.H. Engg. Division, Fatehabad for laying of 450 mm i/d D.I. pipe treated effluent channel sinthala road at Kulana road at Village Sinthala to Dholu to M.P Sottar to Rangoi induction canal near village Chando Kalan, under forest division and District Fatehabad, Haryana. (online proposal no. FP/HR/Road/31522/2018).**

Ref: 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन-8633/6923 दिनांक 29.07.2020

महोदय,


मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.7626 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. अतः प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट पारे:-

(i) State Government is requested to explore new possibilities in the laying of pipeline to reduce the number of trees to be felled in the proposal. Revised layout plan to be submitted.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

  
18/08/20  
(के जेड भुटिया)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Fatehabad, Haryana
2. Executive Engineer, P.H. Engg. Division, Fatehabad.